

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL**BENCH, NEW DELHI****IN****ORIGINAL APPLICATION NO. 612 OF 2024****IN THE MATTER OF:**

Lakshmi & ors.

....Applicant**Versus**

State of U.P & ors.

....Respondent**INDEX**

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit of Naib Tehsildar Meerut on behalf of District Magistrate Meerut, in compliance of order dated 27.05.2024 passed by this Hon'ble Tribunal	1-11
2.	<u>Annexure R-1:</u> A Copy of order dated 27.05.2024 passed by this Hon'ble Tribunal	12-14

3.	Annexure R-2: A copy of Authorization Letter dated 07 Sep 2024	15
4.	Annexure R-3: A copy of office order 586/osdcamp/2024 dated 27.02.2024 for constitution of joint enquiry committee	16
5.	Annexure No. R-4: A copy of FIR dated 12.07.2024	17-27

Ankit Verma

THROUGH

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB:- 0999080440

Email-ankit.scngtup@gmail.com



3



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 612 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Lakshmi & ors.

....Applicant

Versus

State of U.P & ors.

....Respondent

**AFFIDAVIT OF NAIB TEHSILDAR MEERUT ON BEHALF
OF DISTRICT MAGISTRATE, MEERUT IN COMPLIANCE
OF ORDER DATED 27.05.2024 PASSED BY THIS
HON'BLE TRIBUNAL**

The Respondent Herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:



NOTARY

I, Satish aged about 34 years, S/o Murari Lal presently posted as Naib Tehsildar District Meerut Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am the above-mentioned authorized officer on behalf of answering Respondent 3 and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.
2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.
3. That the deponent is posted as Naib Tehsildar, District Meerut, since 01.07.2022 and is swearing this affidavit in his official capacity.



NOTARY

4. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 27.05.2024 was pleased to issue the following directions:-

"Issue notice to the Respondents for filling their reply at least one week before the next date of hearing. Applicant are directed to serve the Respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing. List on 09.09.2024"

A copy of the order dated 27.05.2024 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed herewith and marked as **Annexure R-1.**

5. That the District Magistrate, Meerut (Respondent No. 3) vide his letter dated 07.09.2024 has duly authorized the deponent to file the said affidavit on his behalf. A copy of the Authorization Letter dated 07.09.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2.**



NOTARY

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal line through it.

6. That the present affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 27.05.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.
7. That the alleged unfortunate accident occurred on 27.02.2024 in the factory of Respondent No. 5.
8. That the primary reason which led to the accident was opening of the heating reactor gate which was opened by the workers/ labourers, present at the time of the explosion which occurred in the factory.
9. That the factory of the Respondent No. 5 is located outside the Municipal limits of District Meerut.
10. That it is submitted that on the information received about the explosion at the factory of the Respondent No. 5, immediate steps were taken by the District Administration to provide relief facilities to the families of the deceased and injured persons.



NOTARY

11. That the District Magistrate, Meerut, vide its office order 586/osdcamp/2024 dated 27.02.2024 constituted a joint inspection committee, comprising of officials from District Administration to thoroughly investigate the alleged accident and submit a detailed report. A copy of the office order 586/osdcamp/2024 dated 27.02.2024 is herewith annexed and marked as **Annexure R-3.**

12. That on complaint being received by the Applicant (Mrs. Lakshmi, wife of deceased Shankarlal), a First Information Report dated 12.07.2024 under Section 304A, 337, 338, 452, 504, & 506 of the Indian Penal Code, 1860 and under Section 3 (2) (va) of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 was lodged against both the partners of Respondent No. 5. The investigation in the aforesaid FIR is being done by the Circle Officer Meerut, the report of which is awaited. A copy of the FIR dated 12.07.2024 is herewith annexed and marked as **Annexure No. R-4.**



NOTARY

13. That, it is a settled principle of law that where an enterprise/ Project Proponent/ Owner is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity and harm caused to anyone on account of an accident in the operation of such hazardous or inherently dangerous activity, the enterprise/ Project Proponent/ Owner is absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident in operation and such liability is not subject to any of the exceptions which operate vis-à-vis the tortious principle of Absolute Liability and as also laid down inter alia; M.C. Mehta vs. Union of India &Ors. 1987(1) SCC 395.

14. That in the interest of justice, the present affidavit may be taken on record by this Hon'ble Tribunal, in the interest of justice.




DEPONENT

NOTARY

Verification


I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.


On this 07 day of Sep. , 2024.




DEPONENT

certified that Asif Muhammad
resident of New Tehsil dar
identified by Asif
Swore the Contents of the affidavit on oath
before NIROD KUMAR GARG Advocate
Meerut Fee Rs. 15/- per deponent Attested.


NOTARY
07/09/2024


Asif Muhammad सैफ
Advocate
फोन नं० 9958206
फै० नं० 97611292



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 612 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Lakshmi & ors.

....Applicant

Versus

State of U.P & ors.

....Respondent

AFFIDAVIT

I, Satish aged about 34 years, S/o Murari Lal presently posted as Naib Tehsildar District Meerut Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am fully acquainted with the facts, circumstances and records of the instant case.
2. That I further state that the averments made in the application have been thoroughly read and understood by me and thereby I declare that the



HULFAY

/s/

application has been prepared on behalf of District Magistrate Meerut i.e. Respondent No. 3.

3. That the contents of the accompanying application are all true to my knowledge and the rest are on information derived from papers of the case and believed by me to be true.


DEPONENT


Verification:

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above Affidavit are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom. Verified by me. on this 07 day of Sep 2024




DEPONENT

Certified that Shri. Satish No. Shri. Meera Lal
Resident of Perk Takanday Dist. Meerut
Identified by Shri. Ans meera Lal
Swore the Contents of the Affidavit on oath
before NBROTTEM KUMAR GARG Advocate.
Meerut No. 01908700 per deponent Attested.


NOTARY
07/09/2024
Subho
आस मुहम्मद सैफ
सुनू एडवोकेट
रजि० न० 9958/201
फो० न० 97611292

Item No. 10

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 612/2024

Lakshmi & Ors.

Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 27.05.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Rahul Khurana & Mr. Hasil Jain, Advs.

ORDER

1. In this original application, the legal heirs of the deceased and injured in explosion in the Respondent No. 5 unit on 27.02.2024 have approached the Tribunal making a grievance against illegal operation of Respondent No. 5 unit situated at Village Masoori, Phitkari Road, Meerut, Uttar Pradesh, which is engaged in the manufacture of rubber oil, tyre oil and black carbon etc. through pyrolysis of scrapped tyres. The applicants have also claimed compensation.

2. The allegation of the Applicants is that Respondent No. 5 unit is operating in violation of the norms and in clear violation of the Standard Operating Procedures (SOP) issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) and Central Pollution Control Board (CPCB) inasmuch as it did not have the device for measurement of temperature and pressure and Programmed Logic Control (PLC) which resulted in the accident leading to the death of two persons namely



Shankar Lal and Praveen Kumar and injury to three persons i.e. Applicant No. 3 to 5 on 27.02.2024.

3. Learned counsel for the Applicant, during the course of argument, has referred to the SOP, Annexure A-12 dated 24.11.2015 specifically Clause No. 2.1.5 and 2.1.8 and has submitted that these clauses of the SOP have been violated by Respondent No. 5. He has also referred to the inspection report Annexure A-4 and has submitted that in the inspection the violation was clearly found and even the compliance report Annexure A-5, reflects that Respondent No. 5 had not installed the sensors.

4. He further submits that Respondent No. 5 had arrived at a settlement with the Applicants for payment of compensation at the rate of Rs. 15 lakhs to the family members of each deceased person and Rs. 10 lakhs to those seriously injured and Rs. 5 lakhs to the other injured persons. He submits that the checks Annexure A-7 were issued but they have bounced and no amount has been received by the Applicants till now.

5. The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

6. Issue notice to the Respondents for filing their reply at least one week before the next date of hearing. Applicants are directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

7. List on 09.09.2024.



Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

May 27, 2024
Original Application No. 612/2024
DV



[Handwritten signature]

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्या: 4254/ओ0एस0डी0-कैम्प/2024

दिनांक: 7-09-2024

श्री सतीश,
नायब तहसीलदार,
तहसील मेरठ।

विषय: नायब तहसीलदार, मेरठ को मूल प्रार्थना पत्र संख्या 612/2024 लक्ष्मी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि के रूप में जवाब (शपथ पत्र) दाखिल करने के सम्बन्ध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र संख्या 612/2024 लक्ष्मी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 27-5-2024 के अन्तर्गत प्रकरण में सुनवाई के लिए आगामी तिथि 9-9-2024 निर्धारित है तथा उक्त दिनांक से पूर्व अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिपक्षी संख्या-3 के रूप में जवाब (शपथ पत्र) मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

उक्त प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से तैयार किए गए जवाब (शपथ पत्र) को आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में नियत दिनांक से पूर्व मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(दीपक मीणा)

जिलाधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि-

- 1- श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त मूल प्रार्थना पत्र संख्या 612/2024 लक्ष्मी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में जवाब (शपथ पत्र) दाखिल कराने का कष्ट करें।
- 2- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, सदर को सूचनार्थ प्रेषित।

(दीपक मीणा)

जिलाधिकारी, मेरठ।



(Handwritten signature)

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्या: 506/ओएसडी कैम्प/2024

दिनांक 27-02-2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 27-2-2024 को तहसील मवाना क्षेत्रान्तर्गत थाना इंचौली स्थित दुर्गा एण्टरप्राइजेज फैक्ट्री में बॉयलर फटने की घटना घटित हुई। उपर्युक्त घटना की जांच हेतु निम्नांकित अधिकारियों की एक टीम गठित की जाती है:-

- 1- उप जिलाधिकारी मवाना।
- 2- पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर।
- 3- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र मेरठ।
- 4- उप श्रमायुक्त, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।
- 5- क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मेरठ।
- 6- मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ।
- 7- सहायक निदेशक, कारखाना मेरठ।

उपरोक्त जांच समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह उपर्युक्त घटित घटना के कारणों की जांच कर अपनी संयुक्त एवं सुस्पष्ट आख्या 48 घण्टे के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी।

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

- 1- मा0 आयुक्त महोदया, मेरठ मण्डल मेरठ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मेरठ।
- 4- उपरोक्त संबंधित अधिकारियों को तदनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।



(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मेरठ

P.S. (थाना): इंचौली

Year (वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0164

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 12/07/2024 19:05

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	304-A
2	भा द सं 1860	337
3	भा द सं 1860	338
4	भा द सं 1860	452
5	भा द सं 1860	504
6	भा द सं 1860	506
7	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015)	3(2)(va)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day दरमियानी दिन
(दिन):

Date From 27/02/2024
(दिनांक से):

Date To 22/03/2024
(दिनांक तक):

Time Period
(समय अवधि):

Time From 00:00 बजे
(समय से):

Time To 00:00
(समय तक): बजे



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 12/07/2024 **Time (समय):** 19:05 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 048 **Date & Time** 12/07/2024 19:05 बजे
(प्रविष्टि सं.): **(दिनांक और समय):**

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. अन्य, 03 **Beat No.**
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी **(बीट सं.):**
(b) Address प्रतिवादी की फैक्ट्री व ,वादिया का घर किशोरीपुरा
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. **District(State)**
(थाना का नाम): **(ज़िला (राज्य)):**



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्रीमती लक्ष्मी

(b) Husband's Name (पति का नाम) : स्व० शंकरलाल

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1999

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम किशोरीपुरा,इंचौली,मेरठ,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	ग्राम किशोरीपुरा,इंचौली,मेरठ,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9000000000

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):



S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अमित जैन		पिता का नाम : प्रमोद जैन	1. बावली रोड ,बडौत,बागपत, उत्तर प्रदेश,भारत
2	दीपक जैन		पिता का नाम : प्रमोद जैन	1. बावली रोड ,बडौत,बागपत, उत्तर प्रदेश,भारत
3	गुलजार फैक्ट्री मैनेजर			1. अज्ञात ,अज्ञात
4	दीपक ठाकुर			1. अज्ञात ,अज्ञात
5	02-03 व्यक्ति अज्ञात			1. अज्ञात ,अज्ञात

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल प्रार्थना पत्र टाईप शुदा- न्यायालय श्रीमान स्पेशल जज एस0 सी0 एस0टी0 एक्ट, महोदय, मेरठा वाद संख्या- सन-2024 1- श्रीमती लक्ष्मी पत्नि स्व0 शंकरलाल आयु करीब 25 वर्ष 2- दिनेश पुत्र ज्ञान सिंह 3- चतरू पुत्र साधुराम निवासीगण ग्राम किशोरीपुरा, थाना-इन्चोली, जिला-मेरठ 1- प्रार्थीगण/वादीगण बनाम 1- अमित जैन पुत्र प्रमोद जैन 2- दीपक जैन पुत्र प्रमोद जैन निवासीगण बावली रोड थाना-बडौत, जिला-बागपत (फैक्ट्री मालिक/स्वामी) 3- गुलजार पुत्र नामालूम फैक्ट्री मैनेजर पद पर कार्यरत। 4- दीपक ठाकुर पुत्र नामालूम व 2-3 अन्य अज्ञात व्यक्ति अभियुक्तगण/विपक्षीगण अन्तर्गत धारा-302, 452, 504, 506, 323, 147 आई0पी0सी0 3(2)5 एस0सी0 एस0टी0 एक्ट थाना-इन्चोली, मेरठा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) सी0आर0पी0सी0 श्रीमानजी, प्रार्थिनी / वादिनीगण निम्न प्रकार निवेदन करते हैं:- ह0 लक्ष्मी, ह0 दिनेश, ह0 चतरू 1- यह कि



(Handwritten signature)

उपरोक्त मजदूर क्रमशः प्रवीण पुत्र चतरू, शंकर लाल पुत्र विजय (मृतक) व सोहनपाल पुत्र वीरबल, सैकी पुत्र सोहनपाल, दिनेश पुत्र जान सिंह (घायल) निवासीगण किशोरीपुरा, थाना इन्चौली जिला-मेरठ पूर्व की भाँति उपरोक्त फैक्ट्री में कार्य कर रहे थे। 2- यह कि जिसका बायलर अचानक से फट गया जिसमें प्रवीण व शंकर लाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी थी तथा तीन मजदूर सोहनपाल, सैकी, दिनेश गम्भीर रूप से घायल हो गये थे जिनको पुलिस प्रशासन की मदद से पहले दिव्य ज्योति नर्सिंग होम गंगानगर मेरठ में भर्ती कराया तथा एक घण्टे बाद न्यूटिमा नर्सिंग होम गढ़ रोड मेरठ में उपचार हेतु भर्ती कराया गया लेकिन उपरोक्त फैक्ट्री मालिक ने मुकदमें से बचने के लिये पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में लिखित समझौता करते हुए मृतकों को 15,00,000/- - 15,00,000/- रूपये तथा घायलों को जिसमें क्रमशः सोहनपाल को 50 हजार रूपये, दिनेश के परिवार को, सैकी को 10 लाख रूपये, व समस्त उपचार खर्च का वायदा किया जिसमें मृतकों को पाँच-पाँच लाख रूपये खर्च नकद तथा दस-दस लाख रूपये के बैंक सं0-088387, 088388 मृतक शंकर की पत्नी लक्ष्मी को दिये व मृतक प्रवीण के पिता चतरू को बैंक सं0-086389, 086390 दिये तथा घायल सोहनपाल को पचास हजार रूपये का बैंक सं-86393, घायल सैकी को दस लाख रूपये के बैंक सं0-86391, 86392 व घायल दिनेश को पाँच लाख रूपये का बैंक सं0-86394, अपने खाता सं0-920020056633150 एक्सिस बैंक बडौत बागपत के दे दिये और कहा कि मैं आपका समस्त उपचार खर्च वहन करूँगा तथा उपरोक्त समस्त बैंक की धनराशि एक सप्ताह में अदा करूँगा। 3- यह कि लेकिन मृतकों प्रवीण व शंकरलाल का पोस्टमार्टम होने के बाद उपरोक्त फैक्ट्री मालिकों ने घायलों को न्यूटिमा नर्सिंग होम में देखने तक भी नहीं आये और ना ही उपचार की बाबत कोई धनराशि अदा की गयी जबकि गम्भीर रूप से घायलों का ईलाज दिनांक 27.02.2024 से 06.03.2024 तक न्यूटिमा नर्सिंग होम मेरठ में ईलाज चला जिसके आपरेशन आदि सर्जरी जैसी गम्भीर चिकित्सीय प्रणाली अपनायी गयी। जिसमें घायलों के परिजनों द्वारा ही स्वयं ह0 लक्ष्मी, ह0 दिनेश, ह0 चतरू, उपचार की समस्त धनराशि अदा की गयी जब घायलों के परिजनों ने फैक्ट्री मालिक से फोन पर बात की तो उपचार की धनराशि अदा करने का झूठा आश्वासन देने लगा और कहने लगा कि मैं 2-3 दिन में आपके समस्त उपचार का खर्च व आपको दी जाने वाली आर्थिक सहायता अदा कर दूँगा लेकिन वह आज कल आजकल कहकर टाल-मटौल करता रहा। 4- यह कि दिनांक 22.03.2024 को उपरोक्त फैक्ट्री मालिकों दीपक जैन, व अमित जैन फैक्ट्री मैनेजर गुलजार, दीपक ठाकुर तथा 2-3 लोग नाम पता अज्ञात घायलों / मृतकों के घर पर आये और आकर कहने लगे कि सालों चमटों तुम हमसे मरने/घायल/उपचार के पैसे मांगते हो और इतना कहते ही अपनी-अपनी अन्टी से इन लोगो ने पिस्टल निकाल ली और कहा कि हमारे द्वारा दिये गये सभी पैसे और बैंक वापस करो, और यदि आज के बाद तुमने कभी भी हमसे पैसे की मांग की तो हम तुम्हारी हत्या करवा देंगे तथा माँ-बहन की गन्दी गन्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर अपनी कार



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

में बैठकर चले गये और जाते-जाते कह गये कि सालों चमारों जो तुमसे हमारा जो बिगडे तुम हमारा बिगाड लेना हम तुम्हें फूटी कौडी भी नहीं देंगे। 5- यह कि उपरोक्त कार्यवाही से बचने के लिये तथा मृतक/घायल/उपचार की धनराशि न देनी पडे इस उद्देश्य से दिनांक 23.03.2024 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से झूठे तथ्यों पर मृतक/घायलों को नोटिस प्रेषित करा दिये गये है जबकि उपरोक्त फैक्ट्री सरकारी मानकों के अनुरूप नहीं चल रही थी तथा सरकार के दिशा निर्देशों की अनदेखी कर अवैध धन कमाया जा रहा था जिसकी वजह से 2 बेजान बेकसूर व्यक्ति प्रवीण, शंकरलाल की दर्दनाक मौत हो गयी तथा 3 व्यक्ति सोहनलाल, सैकी, दिनेश गम्भीर रूप से घायल हो गये जिनका अभी भी उपचार चल रहा है। उपरोक्त मृतकों / घायलों के जिम्मेदार उपरोक्त सभी लोग है क्योंकि इन लोगो ने हत्या के व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए ही पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लिखित समझौता किया था। ये सभी लोग अपने द्वारा किये गये लिखित समझौते से मुकर गये है और ये सभी लोग हमें जान से मारने की धमकी दे रहे है जिससे हम सभी भय भीत है तथा हमें ह0 लक्ष्मी, ह0 दिनेश, ह0 चतरु आशंका है कि ये सभी लोग हमारी भी हत्या कर सकते है। 6- यह कि प्रार्थी ने उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 30.03.2024 को प्रार्थना पत्र प्रशासनिक उच्चाधिकारियों को दिये परन्तु आज तक भी कोई कार्यवाही उपरोक्त विपक्षीगणों के विरुद्ध नहीं हुई है। प्रार्थीगण विवश होकर श्रीमानजी की शरण में आये है न्याय हित में हम प्रार्थीगण की रिपोर्ट थाना इंचौली जिला मेरठ पर दर्ज कराकर विवेचना करायी जानी न्यायोचित है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना इन्चौली जिला-मेरठ पर उपरोक्त मुल्जिमान के विरुद्ध पंजीकृत कराकर विवेचना करने के आदेश पारित करने की कृपा करे। ह0 लक्ष्मी, ह0 दिनेश, ह0 चतरु दिनांक:- 12/4/24 प्रार्थीगण/वादीगण (1) लक्ष्मी पत्नि स्व0 शंकरलाल (2) दिनेश पुत्र जान सिंह (3) चतरु पुत्र साधुराम समस्त R/0 ग्राम किशोरीपुरा थाना इंचौली मेरठ ह0 अपठित अनिल प्रधान एडवोकेट

नोट मैं का0 3271 रोहित प्रताप प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त मुकदमें की कायमी व तहरीर मेरे द्वारा शब्द व शब्द बोलकर का0 2543 नितिन कुमार से कम्प्यूटर पर टाईप व फीड कराया गया।



(Handwritten signature)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया) or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) CO SADAR DEHAT Rank Dy. SP (Deputy Superintendent of (जांच अधिकारी का नाम): (पद):

No. 9454401586 to take up the Investigation (सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. District (थाना): (ज़िला): on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the
complainant / informant.(शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):


Signature of Officer in charge,
Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name SO INCHAULI

Rank SI (Sub-Inspector)

No. 9454403978



Attachment to item 7 of First Information Report

(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:

(If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :

(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					

2	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

3	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--



(Handwritten signature)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

